प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.01.2026

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा केले व केले के पत्तों में छिपाकर तस्करी कर लायी जा रही खैर (कत्था) लकड़ी वजन करीब 7000 किलोग्राम बरामद व दो अन्तर्राज्यीय लकड़ी तस्कर गिरफ्तार।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में, तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के नेतृत्व में स्वाट टीम, अपराध शाखा द्वारा दिनांक-25/01/2026 को मुखबिर की सूचना पर ईस्टर्न पैरीफेरल डासना कट थाना क्षेत्र मसूरी जनपद गाजियाबाद से एक कैण्टर नम्बर UP81GT1319 मय प्रतिबन्धित खैर (कत्था) लकड़ी के साथ दो अन्तर्राज्यीय लकड़ी तस्कर गिरफ्तार जिनके कब्जे से 7000 किलोग्राम लकड़ी खैर (कत्था) बरामद करने में अहम सफलता हासिल की है। बरामद खैर (कत्था) लकड़ी की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है तथा गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना मसूरी पर धारा- 318(4)/336(3)/340(2) बीएनएस व धारा 3/28 भारतीय वन अधिनियम बनाम रविन्द्र आदि पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ पर दोनो अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त बरामद खैर (कत्था) लकड़ी को बिहार राज्य के मधुबनी जिले से केले व केले के पत्तों में छुपाकर तस्करी करके ला रहे थे पुलिस चैकिंग में बचने के लिये केला की बिल्टी फर्जी बना रखी है। तथा उक्त खैर (कत्था) लकड़ी को हरियाणा के कुण्डली ले जाना बताया गया है। गिरफ्तार कैण्टर चालक व हैल्पर के द्वारा यह भी बताया कि उक्त लकड़ी को मधुबनी जिले के चोखेलाल नाम के व्यक्ति ने हम लोग लेकर भेजा था जिसको हरियाणा के कुण्डली जनपद मे डिलीवरी चोखेला के बताये अनुसार करनी थी। उक्त बरामद लकड़ी के चालक व हैल्पर द्वारा कोई वैध कत्था खैर लकड़ी का दस्तावेज नही दिखाया। गिरफ्तार चालक रविन्द्र पूर्व में जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना फेस 2 से इसी खैर कत्था लकड़ी की तस्करी मे जेल जा चुका है। मौके पर गिरफ्तारी/बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वन विभाग की टीम एवं थाना मसूरी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम को भी उक्त कार्यवाही में शामिल किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.रविन्द्र पुत्र स्व0 प्रभूदयाल निवासी ग्राम नगरिया जाहर थाना दादों जिला अलीगढ उम्र करीब 36 वर्ष

2. अंकित पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम नगरिया जाहर थाना दादों जिला अलीगढ उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1.प्रतिबन्धित खैर (कत्था) प्रजाति की लकड़ी वजन करीब 7000 किलोग्राम , अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये

2. 01 कैन्टर यू0पी0 81जीटी 1319

3. मोबाइल फोन – 01

4.फर्जी बिल्टी

गिरफ्तार अपराधीगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रविन्द्र कुमार-

1.मु0अ0सं0 452/2025 धारा 317(4)/318(4)/336(3)/340(2) बीएनएस व धारा 3/28 भारतीय वन अधिनियम थाना फेस-02 गौ0बु0नगर

2.मु0अ0सं0 30/2026 धारा 318(4)/336(3)/340(2) बीएनएस व धारा 3/28 भारतीय वन अधिनियम थाना मसूरी गाजियाबाद

अभियुक्त अंकित कुमार

1.मु0अ0सं0 30/2026 धारा 318(4)/336(3)/340(2) बीएनएस व धारा 3/28 भारतीय वन अधिनियम थाना मसूरी गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद